राजस्थान सरकार
वित्त (कर) विभाग

क्रमांकः प.12(12)वित्त/कर/2023–15 दिनांकः 02-05-2023

–: आदेश :–

सामाजिक सुरक्षा निवेश प्रोत्साहन योजना, 2023
(Social Security Investment Promotion Scheme -SSIPS, 2023)

राज्य में वंचित वर्ग यथा बच्चों, महिलाओं, दिव्यांगों, भिखारी/निर्धन व्यक्ति, बेघर, ट्रांसजेंडर, नशे में संलिप्त व्यक्तियों एवं वृद्धजनों के कल्याण तथा अन्य सामाजिक सरोकार के क्षेत्र में भारत सरकार/राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त अलाभकारी संस्थाओं की सक्रिय जन–भागीदारी को प्रोत्साहित करने एवं उन्हें कार्य हेतु अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराने के लिये राज्य सरकार की ओर से परिलाभ प्रदान करने हेतु **"सामाजिक सुरक्षा निवेश प्रोत्साहन योजना, 2023"** लागू की जाती है–

1. **संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ, विस्तार –**

1.1 उक्त योजना **"सामाजिक सुरक्षा निवेश प्रोत्साहन योजना, 2023 (Social Security Investment Promotion Scheme - SSIPS, 2023)"** कहलायेगी तथा यह योजना **"सामाजिक सुरक्षा निवेश प्रोत्साहन योजना, 2021 (Social Security Investment Promotion Scheme - SSIPS, 2021)"** का स्थान लेगी।

1.2 यह योजना आदेश प्रसारित किये जाने की दिनांक से 5 वर्ष तक प्रभावी रहेगी।

1.3 **"सामाजिक सुरक्षा निवेश प्रोत्साहन योजना, 2021 (Social Security Investment Promotion Scheme - SSIPS, 2021)"** में लाभान्वित संस्थाओं को शेष अवधि के लिये SSIPS-2023 में परिवर्तन का विकल्प प्राप्त होगा।

2. **परिभाषाएं –**

2.1 इस योजना में, जब तक की संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(i) **"अलाभकारी संस्था"** से तात्पर्य इस योजना के बिन्दु 4 में परिभाषित वंचित वर्ग के लिए एवं अन्य सामाजिक सरोकार के क्षेत्र में कार्यरत किसी स्वयंसेवी संस्था/संगठन से अभिप्रेत है;

(ii) **"वंचित वर्ग"** से तात्पर्य योजनान्तर्गत परिभाषित बालक, भिखारी/ निर्धन व्यक्ति, बेघर, वरिष्ठ नागरिक, ट्रांसजेंडर व्यक्ति, दिव्यांगजन, महिला, नशे में संलिप्त व्यक्ति एवं एच. आई.वी. एड्स से पीड़ित व्यक्ति से अभिप्रेत है;

(iii) **"बालक"** से तात्पर्य किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 2(14) में परिभाषित देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक से अभिप्रेत है;

(iv) **"भिखारी/निर्धन व्यक्ति"** से तात्पर्य राजस्थान भिखारियों या निर्धन व्यक्तियों का पुनर्वास अधिनियम, 2012 में परिभाषित भिखारी/निर्धन व्यक्ति से अभिप्रेत है;

(v) **"बेघर व्यक्ति"** से तात्पर्य शहरी बेघर हेतु राजस्थान राज्य नीति, 2017 में परिभाषित बेघर व्यक्ति से अभिप्रेत है;

(vi) **"वरिष्ठ नागरिक"** से तात्पर्य माता–पिता और वरिष्ठ नागरिक का भरण–पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 की धारा 2(ज) में परिभाषित वरिष्ठ नागरिक से अभिप्रेत है;

(vii) **"ट्रांसजेंडर व्यक्ति"** से तात्पर्य ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 की धारा 2(झ) में परिभाषित ट्रांसजेंडर व्यक्ति से अभिप्रेत है;

(viii) **"दिव्यांगजन"** से तात्पर्य दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 2(ध) में परिभाषित दिव्यांगजन से अभिप्रेत है;

(ix) **"महिला"** से तात्पर्य तत्समय पृवत किसी विधि के अन्तर्गत कोई हिंसा, दुर्व्यवहार, उत्पीड़न, मानसिक बीमार, संकटग्रस्त अवस्था में मौजूद महिला अथवा एकल महिला से अभिप्रेत है;

(x) "**नशे में संलिप्त व्यक्ति**" से तात्पर्य स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 में वर्णित स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ के सेवनकर्ता व्यक्ति से अभिप्रेत है;

(xi) "**एच.आई.वी. एड्स से पीड़ित व्यक्ति**" से तात्पर्य ह्यूमन इम्यूनोडिफिशिएंसी वायरस एण्ड एक्वायर्ड इन्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम (रोकथाम एवं नियत्रंण) अधिनियम, 2017 में वर्णित पीड़ित व्यक्ति से अभिप्रेत है;

(xii) "**जिला स्तरीय समिति (District Level Committee)**" से तात्पर्य इस योजनान्तर्गत आवंटित कार्यों हेतु योजना के बिन्दु संख्या 7.1 में गठित समिति से अभिप्रेत है;

(xiii) "**राज्य स्तरीय अधिकार प्रदत्त समिति (State Level Empowered Committee)**" से तात्पर्य इस योजनान्तर्गत आवंटित कार्यों हेतु योजना के बिन्दु संख्या 7.2 में गठित समिति से अभिप्रेत है;

(xiv) "**राज्य स्तरीय उच्चाधिकार प्राप्त समिति (State Level High Powered Committee)**" से तात्पर्य इस योजनान्तर्गत आवंटित कार्यों हेतु योजना के बिन्दु संख्या 7.3 में गठित समिति से अभिप्रेत है;

(xv) "**प्रारूप**" से तात्पर्य इस योजना के कियान्वयन के संबंध में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप से अभिप्रेत है;

(xvi) "**परिलाभ**" से तात्पर्य राजस्थान सरकार द्वारा योजनान्तर्गत निर्धारित देय "सुविधा/रियायत/छूट/अनुदान/सहायता" से अभिप्रेत है;

(xvii) "**आउटरीच सेवायें**" से तात्पर्य वंचित वर्ग के लिये चिकित्सीय सहायता, मानसिक स्वास्थ्य परामर्श एवं चिह्नीकरण से अभिप्रेत है;

(xviii) "**संस्थागत देखरेख**" से तात्पर्य अलाभकारी स्वयंसेवी संस्था/संगठन द्वारा वंचित वर्ग के लिए संचालित कोई आवासीय सुविधा, गृह, पुनर्वास गृह/केन्द्र, हाफ–वे होम, खुला आश्रय, नशा मुक्ति केन्द्र, फिट फैसिलिटी, महिला सदन/नारी निकेतन से अभिप्रेत है;

(xix) "**गैर संस्थागत देखरेख**" से तात्पर्य अलाभकारी स्वयंसेवी संस्था/संगठन द्वारा वंचित वर्ग के लिए संचालित कोई पारिवारिक देखरेख, आउटडोर सेवायें इत्यादि गैर संस्थागत देखरेख से अभिप्रेत है;

(xx) "**क्राइसिस इन्टरवेनशन सेन्टर**" से तात्पर्य वंचित वर्ग के हिंसा से पीड़ित/प्रभावित अथवा अवसादग्रस्त व्यक्तियों को एक ही छत के नीचे मनोवैज्ञानिक परामर्श, विधिक सहायता, संरक्षण सेवाएं तथा पुलिस में प्रकरण दर्ज कराने सहित अन्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए स्थापित सेन्टर से अभिप्रेत है;

(xxi) "**ग्रुप फोस्टर केयर फैसिलिटी**" से तात्पर्य किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत् बालकों के लिये संचालित ग्रुप फोस्टर केयर फैसिलिटी से अभिप्रेत है;

(xxii) "**फिट फैसिलिटी**" से तात्पर्य किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 51 के तहत स्थापित फिट फैसिलिटी से अभिप्रेत है;

(xxiii) "**स्वयंसेवी संस्था/संगठन**" से तात्पर्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार से तत्समय प्रवृत किसी विधि के अन्तर्गत पंजीकृत स्वयंसेवी संस्था/संगठन से अभिप्रेत है;

(xxiv) "**सक्षम प्राधिकारी**" से तात्पर्य राज्य सरकार के संबंधित विभाग द्वारा नामित अधिकारी से अभिप्रेत है;

(xxv) "**प्रशासनिक विभाग**" से तात्पर्य राज्य सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से अभिप्रेत है;

(xxvi) "**राज्य सरकार**" से तात्पर्य राजस्थान सरकार से अभिप्रेत है।

2.2 अधिनियम अथवा नियम में परिभाषित और प्रयुक्त किये गये किन्तु इस योजना में परिभाषित नहीं किए गए शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा, जो संबंधित अधिनियम अथवा नियम में समुनिर्दिष्ट किया गया है।

3. उद्देश्य एवं आवश्यकता –

3.1 औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहित किए जाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर योजनाएं प्रसारित की जाती है। सामाजिक क्षेत्र में किए जा रहे निवेश को भी औद्योगिक निवेश की भाँति महत्वपूर्ण मानते हुए राज्य में वंचित वर्ग के कल्याण के लिये कार्यशील अलाभकारी संस्थाओं हेतु निवेश प्रोत्साहन योजना की आवश्यकता महसूस की गई है।

3.2 उक्त अलाभकारी संस्थाओं की सहभागिता को सुगम बनाने तथा उनके कार्यों को अधिक प्रभावी बनाने के लिये राज्य सरकार द्वारा **सामाजिक सुरक्षा निवेश प्रोत्साहन योजना, 2023** के अंतर्गत अलाभकारी संस्थाओं को परिलाभ प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है।

4. पात्रता –योजनान्तर्गत आवृत अलाभकारी संस्थाओं की पात्रता निम्नानुसार निर्धारित की जायेगी: –

4.1 अलाभकारी संस्था की स्थापना में न्यूनतम रूपए 50 लाख का पूंजीगत निवेश अथवा न्यूनतम 25 लाभार्थियों हेतु संचालन आवश्यक होगा।

4.2 वंचित वर्ग की देखभाल तथा सामाजिक सरोकार के कार्य हेतु राज्य में कार्यरत अलाभकारी संस्था का न्यूनतम 3 वर्ष पूर्व से संबंधित सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने हेतु सोसायटी/पब्लिक ट्रस्ट (सार्वजनिक न्यास)/कंपनी (सामाजिक क्षेत्र) के रूप में पंजीकृत होना आवश्यक होगा।

4.3 अलाभकारी संस्था द्वारा इस योजना के बिन्दु संख्या 5 में वर्णित अनुज्ञेय गतिविधियों के संबंध में निःशुल्क आवासीय सुविधा प्रदान करने पर न्यूनतम 1 वर्ष पूर्व सोसायटी/पब्लिक ट्रस्ट (सार्वजनिक न्यास)/कंपनी (सामाजिक क्षेत्र) के रूप में पंजीकृत होने पर भी इस योजनान्तर्गत परिलाभ प्राप्त करने की पात्र होगी।

4.4 योजनान्तर्गत परिलाभ प्राप्त करने हेतु अलाभकारी संस्था द्वारा निम्नांकित की पूर्ति आवश्यक होगी –

(i) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12ए के अंतर्गत पंजीकरण।

(ii) नीति आयोग के दर्पण पोर्टल एवं राज्य सरकार के आयोजना विभाग के Voluntary Sector Development Centre (VSDC) पोर्टल पर पंजीयन।

(iii) भारत सरकार/राज्य सरकार से ब्लैकलिस्टेड अथवा डिफाल्टर नहीं होने संबन्धी उद्घोषणा।

(iv) एफसीआरए पंजीयन (विदेशी सहायता प्राप्त करने की स्थिति में)।

(v) विगत वित्तीय वर्षों का संस्था के लेखा, बैलेन्स शीट व वार्षिक रिपोर्ट–

क्र सं	अभिलेख	अवधि	
		बिन्दु संख्या 4.2 की पात्रता अंतर्गत	बिन्दु संख्या 4.3 की पात्रता अंतर्गत
1	संस्था के लेखा का सनदी लेखाकार से अंकेक्षित प्रमाणपत्र	विगत 3 वित्तीय वर्ष का	विगत 1 वित्तीय वर्ष का
2	बैलेन्स शीट	विगत 3 वित्तीय वर्ष का	विगत 1 वित्तीय वर्ष का
3	वार्षिक रिपोर्ट	विगत 3 वित्तीय वर्ष का	विगत 1 वित्तीय वर्ष का

4.5 सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने हेतु प्रासंगिक अधिनियम/नियमों के अंतर्गत राज्य सरकार से पंजीकृत/अधिकृत अलाभकारी संस्थाओं को योजना के बिन्दु संख्या 4.4 में उल्लेखित दस्तावेजों को आवेदन के साथ प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता नहीं होगी।

4.6 खण्ड 4.1 से 4.5 में किसी बात के होते हुए भी राज्य स्तरीय उच्चाधिकार प्राप्त समिति को इस योजना के उद्देश्यों के अनुरूप कार्यरत किसी अलाभकारी संस्था को इस योजना के अनुरूप संचालित कार्यो के समर्थन में समुचित अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने पर निर्धारित पात्रता की शर्तो में रियायत प्रदान करने की शक्तियां प्राप्त होंगी।

5. वंचित वर्ग के लिए गतिविधियों का निर्धारण –

5.1 योजनान्तर्गत अलाभकारी संस्था का निम्न वर्णित क्षेत्रों में से किन्हीं गतिविधियों में नियोजन आवश्यक होगा–

क्र.सं.	वंचित वर्ग	अनुज्ञेय गतिविधियां
1	महिला	(i) संस्थागत देखरेख (गृह संचालन) (ii) डे–केयर (iii) शिक्षण (iv) व्यावसायिक शिक्षा / प्रशिक्षण (v) महिला हेल्पलाईन (vi) स्वयं सहायता समूह (vii) क्राइसिस इन्टरवेंशन सेन्टर (viii) आउटरीच सेवायें
2	दिव्यांगजन	(i) संस्थागत देखरेख (गृह संचालन) (ii) विद्यालय (iii) आवासीय विद्यालय (iv) डे–केयर (v) छात्रावास (vi) व्यवसायिक शिक्षा / प्रशिक्षण (vii) आउटरीच सेवायें
3	बालक / बालिका	(i) संस्थागत देखरेख (गृह संचालन) (ii) ग्रुप फोस्टर केयर फैसिलिटी (iii) फिट फैसिलिटी (iv) आवासीय विद्यालय (v) ओपेन शेल्टर (vi) गैर–संस्थागत देखरेख (vii) शिक्षण (viii) व्यावसायिक शिक्षा / प्रशिक्षण (ix) चाईल्ड हेल्पलाईन (x) क्राइसिस इन्टरवेंशन सेन्टर (xi) आउटरीच सेवायें
4	वरिष्ठ नागरिक	(i) संस्थागत देखरेख (गृह संचालन) (ii) डे–केयर (iii) गैर–संस्थागत आधारित जैरियाट्रिक केयर
5	भिखारी / निर्धन व्यक्ति	(i) संस्थागत देखरेख (गृह संचालन) (ii) डे–केयर (iii) व्यावसायिक प्रशिक्षण
6	बेघर	(i) संस्थागत देखरेख (गृह संचालन) (ii) डे–केयर (iii) व्यावसायिक प्रशिक्षण
7	ट्रांसजेंडर	(i) संस्थागत देखरेख (गृह संचालन) (ii) व्यावसायिक शिक्षा / प्रशिक्षण
8	नशे में संलिप्त व्यक्ति	(i) नशा मुक्ति केन्द्र संचालन (ii) पुनर्वास केन्द्र (iii) डे–केयर (iv) व्यावसायिक शिक्षा / प्रशिक्षण (v) नशामुक्ति आउटडोर सर्विस (vi) आउटरीच सेवायें
9	एच.आई.वी. (एड्स) से पीड़ित व्यक्ति	(i) संस्थागत देखरेख (गृह संचालन) (ii) गैर–संस्थागत देखरेख (iii) व्यावसायिक शिक्षा / प्रशिक्षण

5.2 उक्त अनुज्ञेय गतिविधियों के अतिरिक्त अलाभकारी संस्था का अन्य सामाजिक सरोकार के क्षेत्र में कार्यशील होने पर भी योजनान्तर्गत परिलाभ देय होगा।

5.3 अलाभकारी संस्था के एक से अधिक वर्णित क्षेत्रों/गतिविधियों में पृथक–पृथक अथवा सम्मिलित रूप से कार्यशील होने पर उन्हें संबन्धित क्षेत्रों/गतिविधियों में पृथक–पृथक निर्धारित परिलाभ प्रदान किया जा सकेगा।

6. परिलाभ का विवरण –

6.1 राज्य सरकार द्वारा वंचित वर्ग के लिए कार्यरत अलाभकारी संस्था को वर्णित क्षेत्रों में अनुज्ञेय गतिविधि के आधार पर परिलाभ प्रदान किया जायेगा।

6.2 राज्य सरकार द्वारा अलाभकारी संस्था को वर्णित क्षेत्रों अनुज्ञेय गतिविधियों हेतु निम्नानुसार एक अथवा एक से अधिक परिलाभ प्रदान किये जायेंगे–

क्रसं	शुल्क/ अनुदान/कार्य	परिलाभ
I.	भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क	100 प्रतिशत छूट
II.	भवन निर्माण अनुज्ञा शुल्क	100 प्रतिशत छूट
III.	नियमन शुल्क	100 प्रतिशत छूट
IV.	आवंटित अथवा अन्य माध्यम (यथा क्रय व नीलामी) से अर्जित भूमि पर Lease में	100 प्रतिशत छूट
V.	संस्था द्वारा क्रय की गई या लीज पर ली गई अचल सम्पत्ति के यथा स्थिति विक्रय पत्र या लीज डीड पर स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क	100 प्रतिशत छूट
VI.	प्राईवेट व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा अचल सम्पत्ति का दान करने पर स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क	100 प्रतिशत छूट
VII.	ऐसी संस्थाएँ, जो SSIPS-2023 के लागू होने के पूर्व से कार्यरत हैं और उन्हें सामाजिक सरोकार का कार्य करने के कारण भूमि की Lease निःशुल्क दी गई थी, उनके द्वारा Lease Renewal करवाये जाने पर	100 प्रतिशत छूट
VIII.	ब्याज अनुदान	8 प्रतिशत की सीमा तक तथा 5 वर्ष हेतु पुनर्भरण
IX.	गैर अनुदानित अलाभकारी संस्था होने की स्थिति में Non-consumable वस्तुओं/ उपकरण तथा पूंजीगत सामग्री के क्रय पर चुकाया गया राज्य वस्तु एवं सेवा कर (SGST)	चुकाये गये राज्य वस्तु एवं सेवा कर (SGST) का 100 प्रतिशत पुनर्भरण
X.	अलाभकारी संस्था के नाम पंजीकृत वाहन पर देय Motor Vehicle Tax	100 प्रतिशत छूट

6.3 ऐसी अलाभकारी संस्थाएं जिनमें न्यूनतम रूपए 3 करोड़ का पूंजीगत निवेश हो अथवा 50 लाभार्थियों हेतु कार्यशील हो, को उपरोक्त वर्णित परिलाभ के अतिरिक्त Customized Package के रूप में अतिरिक्त परिलाभ प्रदान प्रदान किया जा सकेगा।

6.4 योजनान्तर्गत कार्यों की स्वीकृति तथा प्रगति को सरल बनाने के लिये पृथक् से **SSIPS SEWA (Social Enablement & Welfare Assistance) Fund** बनाया जायेगा, जिसके लिये 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जायेगा।

7. समितियों की संरचना –

7.1 जिला स्तरीय समिति (District Level Committee) में निम्नांकित सदस्य होंगे:–

क्र. सं.	पद एवं विभाग	समिति में पद
1	जिला कलक्टर	अध्यक्ष
2	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद	सदस्य
3	सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	सदस्य सचिव

4	लेखाधिकारी, कार्यालय जिला कलक्टर	सदस्य

7.2 राज्य स्तरीय अधिकार प्रदत्त समिति (State Level Empowered Committee) में निम्नांकित सदस्य होंगे –

क्र. सं.	पद एवं विभाग	समिति में पद
1	प्रमुख/शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	अध्यक्ष
2	आयुक्त/निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	सदस्य
3	वित्तीय सलाहकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	सदस्य
4	आयुक्त/निदेशक, संबंधित प्रशासनिक विभाग (वंचित वर्ग तथा अनुज्ञेय गतिविधि विशेष से संबंधित)	सदस्य
5	संयुक्त शासन सचिव/निदेशक, संबंधित प्रशासनिक विभाग (देय सुविधाओं/रियायतों/छूट से संबंधित)	सदस्य
6	अतिरिक्त निदेशक (सामाजिक सुरक्षा) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	सदस्य सचिव

7.3 राज्य स्तरीय उच्चाधिकार प्राप्त समिति (State Level High Powered Committee) में निम्नांकित सदस्य होंगे –

क्र. सं.	पद एवं विभाग	समिति में पद
1	मुख्य सचिव	अध्यक्ष
2	प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग	सदस्य
3	प्रमुख शासन सचिव, संबंधित प्रशासनिक विभाग (देय सुविधाओं/रियायतों/छूट से संबंधित)	सदस्य
4	शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग	सदस्य
5	शासन सचिव, जनजाति क्षेत्र विकास विभाग	सदस्य
6	प्रमुख/शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	सदस्य सचिव

8. अलाभकारी संस्था को परिलाभ प्रदान करने की प्रक्रिया :–

8.1 अलाभकारी संस्था को निर्धारित परिलाभ प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार के प्रशासनिक विभाग द्वारा निर्मित एकीकृत पोर्टल पर समुचित सूचना सहित आवेदन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप में करना होगा।

8.2 अलाभकारी संस्था को निर्धारित परिलाभ दिये जाने की पात्रता जाँच एवं इस संबंध में निर्णय संबंधित समिति द्वारा निम्नानुसार लिया जायेगा –

क्र. सं.	पात्रता सीमा	समिति
1	न्यूनतम 50 लाख रू या इससे अधिक परन्तु 1 करोड़ रू से कम का पूंजीगत निवेश अथवा 25 लाभार्थियों हेतु संचालन वाली अलाभकारी संस्था द्वारा प्रस्तुत आवेदन	जिला स्तरीय समिति (District Level Committee) के द्वारा
2	1 करोड़ रू या इससे अधिक परन्तु 3 करोड़ रू से कम का पूंजीगत निवेश अथवा 50 लाभार्थियों हेतु संचालन वाली अलाभकारी संस्था द्वारा प्रस्तुत आवेदन	राज्य स्तरीय अधिकार प्रदत्त समिति (State Level Empowered Committee) के द्वारा
3	3 करोड़ रू या इससे अधिक का पूंजीगत निवेश अथवा 50 लाभार्थियों हेतु संचालन वाली अलाभकारी संस्था द्वारा प्रस्तुत आवेदन व उनके लिए Customized Package संबंधी आवेदन	राज्य स्तरीय उच्चाधिकार प्राप्त समिति (State Level High Powered Committee) के द्वारा

8.3 जिला स्तरीय समिति (District Level Committee), राज्य स्तरीय अधिकार प्रदत्त समिति (State Level Empowered Committee) एवं राज्य स्तरीय उच्चाधिकार प्राप्त समिति (State Level High Powered Committee) की बैठक त्रैमासिक स्तर पर आयोजित की जायेगी। आवश्यकतानुसार इन समितियों की बैठक को निर्धारित समय से पूर्व भी आयोजित किया जा सकेगा।

8.4 अलाभकारी संस्था को निर्धारित परिलाभ दिये जाने की पात्रता की जाँच संबंधित समिति द्वारा की जावेगी तथा एवं इस संबंध में समिति के निर्णय से अलाभकारी संस्था को निम्नानुसार सूचित किया जायेगा –

(i) योजना मे देय परिलाभ हेतु अलाभकारी संस्था के पात्र होने की स्थिति में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप में पात्रता प्रमाण–पत्र (Entitlement Certificate) जारी कर संबंधित सक्षम प्राधिकारी एवं संबंधित संस्था को पोर्टल के माध्यम से सूचित किया जायेगा।

(ii) योजना मे देय परिलाभ हेतु अलाभकारी संस्था के अपात्र होने की स्थिति में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संबंधित संस्था को पोर्टल के माध्यम से सूचित किया जायेगा। उक्त प्रक्रिया में आवेदक के योजना हेतु अपात्र होने के कारणों को भी इंगित किया जायेगा।

8.5 योजनान्तर्गत प्रसारित पात्रता प्रमाण–पत्र के आधार पर संबंधित विभाग द्वारा नामित सक्षम प्राधिकारी द्वारा संबंधित अलाभकारी संस्था को निर्धारित परिलाभ प्रदान किया जायेगा।

8.6 राज्य स्तरीय उच्चाधिकार प्राप्त समिति (State Level High Powered Committee) द्वारा Customized Package संबंधी आवेदनों का निस्तारण किया जायेगा।

8.7 योजनान्तर्गत प्रदान की गई छूट संबंधी आदेश में संशोधन वांछित होने की स्थिति में आदेश प्रसारित करने वाला विभाग संबंधित समिति की अनुशंसा पर संशोधन किए जाने के कारणों को अभिलिखित करते हुए संशोधित आदेश प्रसारित करेगा।

9. **योजना में निर्धारित पात्रता की शर्तो में रियायत के मामलों में प्रक्रिया :–**

9.1 अलाभकारी संस्था द्वारा योजना के खण्ड 4.1 से 4.5 में वर्णित पात्रता की शर्तों में रियायत के लिए आवेदन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप में पोर्टल के माध्यम से प्रशासनिक विभाग को प्रस्तुत किया जाएगा।

9.2 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा खण्ड 4.1 से 4.5 में वर्णित पात्रता की शर्तों में रियायत से संबंधित निर्धारित प्रारूप में प्राप्त आवेदन प्रशासनिक विभाग द्वारा सीधे राज्य स्तरीय उच्चाधिकार प्राप्त समिति (State Level High Power Committee) के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत किया जाएगा। राज्य स्तरीय उच्चाधिकार प्राप्त समिति (State Level High Power Committee) द्वारा अलाभकारी संस्था द्वारा प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर –

(i) योजना में देय परिलाभ हेतु अलाभकारी संस्था के पात्र पाए जाने की स्थिति में **पात्रता प्रमाण–पत्र (Entitlement Certificate)** जारी करने के लिए अपने निर्णय से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को सूचित करेगी।

(ii) योजना में देय परिलाभ हेतु अलाभकारी संस्था के अपात्र पाए जाने की स्थिति में अपने निर्णय से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को सूचित करेगी तथा संबंधित विभाग द्वारा संस्था को पोर्टल के माध्यम से सूचित किया जायेगा।

9.3 योजनान्तर्गत प्रसारित पात्रता प्रमाण–पत्र के आधार पर संबंधित विभाग द्वारा नामित सक्षम प्राधिकारी द्वारा संबंधित अलाभकारी संस्था को निर्धारित परिलाभ प्रदान किया जायेगा।

10. **नियम एवं शर्तें :–**

10.1 अलाभकारी संस्था द्वारा प्रचलित विधि/नियमों अथवा राज्य सरकार के तत्समय प्रवृत दिशा–निर्देशों की पालना आवश्यक होगी। उक्त नियमों की अवहेलना किए जाने पर योजनान्तर्गत दी गई सुविधाएं/रियायतें/छूट वापस ली जा सकेंगी।

10.2 किसी संस्था के द्वारा गलत सूचना प्रस्तुत करने, कार्यों में अनियमितता करने या अनुचित लाभ प्राप्त करने की स्थिति में प्रकरण पर समुचित विचार कर उसके विरूद्ध कार्यवाही की

जा सकेगी। यथा संबंधित जिला स्तरीय समिति/ राज्य स्तरीय अधिकार प्रदत्त समिति/ राज्य स्तरीय उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा आवश्यक जांच उपरांत अलाभकारी संस्था को प्रदत्त परिलाभ समाप्त किया जा सकेगा तथा संस्था को दिये गये परिलाभ की 12 प्रतिशत ब्याज के साथ योजना के प्रशासनिक विभाग द्वारा वसूली की जावेगी।

10.3 गम्भीर अनियमितताओं के प्रकरणों में राज्य सरकार द्वारा अलाभकारी संस्था को निर्धारित अवधि के लिये अयोग्य या सदा के लिये ब्लैकलिस्ट किया जा सकेगा तथा तदनुरूप वे भविष्य में योजनान्तर्गत परिलाभ प्राप्त करने के लिए अपात्र होंगे।

10.4 सामाजिक सुरक्षा निवेश प्रोत्साहन योजना के तहत अलाभकारी संस्था की समस्याओं के निराकरण के लिये संबंधित विभागों में शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति की जायेगी।

10.5 योजनान्तर्गत परिलाभ प्राप्त करने वाली अलाभकारी संस्थाएं केन्द्र तथा राज्य एवं अन्य स्रोतों से अनुदान/आर्थिक सहायता/सहयोग प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र होंगी।

11. **योजना क्रियान्वयन एवं व्याख्या :–**

11.1 योजना के क्रियान्वयन, समन्वय तथा पर्यवेक्षण हेतु सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग प्रशासनिक विभाग होगा। योजनान्तर्गत प्रदान की जा रही परिलाभ से संबंधित समस्त विभाग योजना क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी होंगे।

11.2 योजना के किसी बिन्दु विशेष की व्याख्या के प्रकरण इस योजना के प्रशासनिक विभाग की अभिशंषा उपरांत वित्त विभाग द्वारा निर्धारित किये जायेंगे। इस संबंध में वित्त विभाग का निर्णय अंतिम होगा।

11.3 योजना के प्रशासनिक विभाग द्वारा योजना संबंधित समस्त सूचना व अभिलेख संधारित किये जायेंगें तथा योजना के क्रियान्वयन हेतु पोर्टल विकसित कर योजना क्रियान्वयन में पारदर्शिता व कुशलता सुनिश्चित की जायेगी।

12. **अपील** :– संबंधित अलाभकारी संस्था द्वारा **जिला स्तरीय समिति (District Level Committee)** के निर्णय के विरूद्ध अपील **राज्य स्तरीय अधिकार प्रदत्त समिति (State Level Empowered Committee)** को एवं **राज्य स्तरीय अधिकार प्रदत्त समिति (State Level Empowered Committee)** के निर्णय के विरूद्ध अपील **राज्य स्तरीय उच्चाधिकार प्राप्त समिति (State Level High Powered Committee)** को प्रस्तुत की जा सकेगी।

13. **योजना की समीक्षा एवं संशोधन :–**

13.1 वित्त विभाग योजना के प्रशासनिक विभाग से परामर्श उपरांत यथा आवश्यकतानुसार योजना में किसी भी प्रकार का संशोधन करने हेतु सक्षम होगा।

13.2 वित्त विभाग योजना को पूर्णतः अथवा अंशतः भूतलक्षी अथवा पश्चात्वर्ती रूप से योजना के प्रावधानों तथा प्रचलित विभागीय नियमों में एकरूपता स्थापित करने की दृष्टि से संशोधित कर सकेगा।

14. योजना के क्रियान्वयन के संबंध में आवश्यक प्रारूप सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा जारी किये जायेंगे।

15. अलाभकारी संस्था को इस योजना का लाभ योजना के जारी होने की तिथि के पश्चात् किये गये निवेश पर तथा संबंधित अलाभकारी संस्था को सामाजिक सुरक्षा निवेश प्रोत्साहन योजना, 2023 के अंतर्गत पात्रता प्रमाण–पत्र (Entitlement Certificate) जारी होने की तिथि से प्राप्त होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(कृष्णा कांत पाठक)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि इस आदेश को आज के विशेषांक राज–पत्र (Extra Ordinary Gazette) के भाग–1 (ब) में प्रकाशित करावें।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री (वित्त)
3. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार
4. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर
5. आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान, जयपुर
6. निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
7. आयुक्त, महिला एवं बाल विकास विभाग
8. महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान, अजमेर
9. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सेल) विभाग को प्रेषित कर लेख है कि इस आदेश को वित्त विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करावें।
10. निजी सचिव, मुख्य सचिव
11. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त
12. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्व एवं कॉलोनाइजेशन विभाग
13. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, परिवहन विभाग
14. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
15. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास
16. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त राजस्व
17. निजी सचिव, शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

(नम्रता वृष्णि)
संयुक्त शासन सचिव